राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– महेश गगोरिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 61 / 2023

तारीख दायर : 28.06.2023

<u>अनवान</u>

1. लादूलाल पुत्र कालूलाल जाति मीणा निवासी बरून्दनी तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

प्रार्थिया...

<u>बनाम</u>

1. छोटी पत्नी रतन जाति मीणा निवासी मीणो की झोपड़िया बरून्दनी तहसील माण्डलगढ़।
2. धोली पुत्री लादू जाति मीणा निवासी मीणो की झोपड़िया बरून्दनी तहसील माण्डलगढ़।
3. रतनलाल पुत्र लादू जाति मीणा निवासी मीणो की झोपड़िया बरून्दनी तहसील माण्डलगढ़।
4. राधा पुत्री लादू जाति मीणा निवासी मीणो की झोपड़िया बरून्दनी तहसील माण्डलगढ़।
5. नानी बाई पत्नी स्व. कल्याण जाति मीणा निवासी मीणो की झोपड़िया बरून्दनी तहसील माण्डलगढ़।
6. भंवरलाल पुत्र कल्याण जाति मीणा निवासी मीणो की झोपड़िया बरून्दनी तहसील माण्डलगढ़।
7. रतन पुत्र कल्याण जाति मीणा निवासी मीणो की झोपड़िया बरून्दनी तहसील माण्डलगढ़।
8. रामनारायण पुत्र कल्याण जाति मीणा निवासी मीणो की झोपड़िया बरून्दनी तहसील माण्डलगढ़।
9. शंकर पुत्र कल्याण जाति मीणा निवासी मीणो की झोपड़िया बरून्दनी तहसील माण्डलगढ़।
10. कालु पुत्र परथा निवासी बरून्दनी तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

विपक्षीगण...

<u>उपस्थित :–</u>

1. श्री सांवरमल रेबारी (अधिवक्ता प्रार्थी)

<u>प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955</u>

<u>–: निर्णय :–</u>

दिनांक : 23.11.2023

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह कि ग्राम बरून्दनी पटवार हल्का बरूंदनी की शरहद मे खाता संख्या 1260 की आराजी संख्या 4983 / 3494 रकबा 0.3562 हेक्टर स्थित होकर दो साखी भूमि है। जिस पर प्रार्थी व उसके परिवारजन काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी की भूमि मे आने जाने हेतु सजबेल व अन्य कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु एक मात्र रास्ता जो कि गे.मू. रास्ता ग्राम बरूंदनी के रेकार्डेड रास्ते से होकर आराजी संख्या 3825, 3825 / 2, 3825 / 1, 3930 / 3825, 4981 / 3493 के उत्तरी पश्चिमी मेर पर होकर प्रार्थी अपने आराजी संख्या 4980 / 3493 व 4983 / 3494 मे पहुंचते है उक्त रास्ता प्रार्थी का पीढी दर पीढी रास्ता है जिस पर प्रार्थी व उसके परिवारजन कृषि करने हेतु पहुंचते है। उक्त रास्ते का प्रार्थी व उसके परिवारजन काफी बरसो से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है उक्त रास्ता रेकार्ड मे दर्ज नही होने से विपक्षीगण ने दिनांक 16.06.2023 को प्रार्थी व उसके परिवारजन को उक्त रास्ते से आने जाने हेतु मना कर दिया जबकि प्रार्थी व उसके परिवारजन काफी बरसो से इसी रास्ते का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वेकल्पिक रास्ता प्रार्थी की भूमि मे पहुंचने हेतु मौजूद नही है इसलिये विपक्षीगण की आराजी संख्या 3825, 3825 / 2, 3825 / 1, 3930 / 3825, 4981 / 3493 के उत्तरी पश्चिमी मेर पर स्थित रास्ते की प्रार्थी को करीब 30 फीट चौड़ा रास्ता दिलाया जाना न्याय संगत है। रास्ते के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ

राजस्थान सरकार

है मे प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि बिगर रास्ता ही रहेगी जिसकी पूर्ति अर्थ मे सम्भव नही है। प्रार्थी नियमानुसार शुल्क जमा कराने को तैयार है अतः निवेदन है कि ग्राम बरूंदनी पटवार हल्का बरूंदनी तहसील माण्डलगढ़ की प्रार्थी की आराजी 4983/3494 रकबा 0.3562 हैक्टेयर व 4980/3494 रकबा 0.6152 हेक्टर में पहुंचने हेतु विपक्षीगण की कृषि भूमि 3825, 3825/2, 3825/1, 3930/3825, 4981/3493 के उत्तरी पश्चिमी मेर पर 30 फीट चौडा रास्ता दिलाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

बाद जांच प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र भेज तलब किया गया। दिनांक 17.10.2023 को विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त जिन्हे शामिल फाईल किया गया। दिनांक 22.11.2023 को अधिवक्ता प्रार्थी श्री सांवरमल रेबारी ने प्रार्थना पत्र मे शीघ्र सुनवाई बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिससे प्रकरण को आज दिनांक को सुनने बाबत रखा गया। विपक्षीगणो की पूर्व में तामील हो जाने के बावजूद भी उपस्थित नही होने से तीन आवाजे दिलवाई गयी।कोई उपस्थित नही होने से विपक्षीगणो के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान किये गये।

दिनांक 25.10.2023 को तहसीलदार माण्डलगढ़ को मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया तहसीलदार माण्डलगढ़ ने उनके पत्र क्रमांक राजस्व/2023/48 दिनांक 21.11.2023 द्वारा रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि प्रकरण में मौका निरीक्षण पक्षकारान की उपस्थिति में किया गया है। यह है कि ग्राम बरूंदनी पटवार हल्का बरूंदनी के आराजी संख्या 4983/3494 रकबा 0.3562 हैक्टेयर प्रार्थी खातेदार लादुलाल पिता कालु मीणा निवासी बरूंदनी के नाम खातेदारी हक मे रिकॉर्ड दर्ज है। यह है कि प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि पर जाने हेतु राजस्व रिकॉर्ड अनुसार रास्ता दर्ज नहीं है। यह है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर जाने हेतु बिलानाम रास्ता आराजी संख्या 3448 किस्म गेमु रास्ता से विपक्षीगण की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 3825, 3825/2, 3825/1, 3930/3825, 4981/3493 मे से 30 फीट चौड़ाई मे रास्ता चाहा गया है। यह है कि उक्त आराजी संख्या 3825 रकबा 1.6187 हैक्टेयर छोटी पत्नि रतन मीणा रहन–एस.बी.आई. माण्डलगढ़, आराजी संख्या 3825/1 रकबा 0.6070 हैक्टेयर नानीबाई पत्नि कल्याण, भँवरलाल, रतनलाल, रामनारायण, शंकर पिता कल्याण मीणा रहन– ICICI बैंक बीगोद, आराजी संख्या 3825/2 रकबा 1.6187 हैक्टेयर घीसी, रतनलाल, राधा पिता लादु मीणा रहन–एस.बी.आई. माण्डलगढ़, आराजी संख्या 3930/3825 रकबा 1.2141 हैक्टेयर, आराजी संख्या 4981/3493 रकबा 0.9550 हैक्टेयर कालु पिता परथा, घीसी, राधा पुत्री लादु, नानीबाई पत्नि कल्याण, भंवरलाल, रतन रामनारायण, शंकर पिता कल्याण मीणा के नाम खातेदारी हक मे रिकॉर्ड दर्ज है। यह है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 3825 रकबा 1.6187 हैक्टेयर में से 0.0364 हैक्टेयर, आराजी संख्या 3825/1 रकबा 0.6070 हैक्टेयर में से 0.0162 हैक्टेयर, आराजी संख्या 3825/2 रकबा 1.6187 हैक्टेयर में से 0.0382 हैक्टेयर, आराजी संख्या 3930/3825 रकबा 1.2141 हैक्टेयर मे से 0.0419 हैक्टेयर व आराजी संख्या 4981/3493 रकबा 0.9550 हैक्टेयर मे से रकबा 0.0364 हैक्टेयर अर्थात कुल रकबा 0.1691 हैक्टेयर (उत्तरी मेड) भूमि का रास्ते हेतु उपयोग होगा जो रास्ते हेतु प्रस्तावित की जा रही है। इसके आगे आराजी संख्या 4980/3493 स्थित जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। यह है कि प्रस्तावित भूमि ICICI बैंक बीगोद व एस.बी.आई. माण्डलगढ़ के रहन दर्ज है। यह है कि प्रस्तावित रास्ता लघुतम होकर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। यह है कि ग्राम बीगोद की डी.एल.सी (796735 रूपये प्रति हैक्टेयर) अनुसार प्रतिभूति राशि 270560/–रूपये (दौ लाख सतर हजार पांच सौ साठ रूपये) बनती है। डी.एल.सी. की प्रति संलग्न है।

दिनांक 23.11.2023 अधिवक्ता श्री सांवरमल रेबारी ने पत्रावली में शीघ्र सुनवाई बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 23.11.2023 को ही नम्बर पर

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

गयी। विपक्षीगण 1 से 10 की तामील हो जाने के बावजूद कोई उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की गयी। अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी नक्शा एवं तहसीलदार माण्डलगढ़ से प्राप्त दोनों रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत करवाया गया कि प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए मौके पर व राजस्व रिकॉर्ड में अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। प्रार्थी की आराजी संख्या 4983/3494 पर पहुँचने के लिए बिलानाम रास्ता आराजी संख्या 3448 किस्म गेमु रास्ता से विपक्षीगण की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 3825, 3825/2, 3825/1, 3930/3825, 4981/3493 में होते हुये पहुँचता है लघुतम एवं न्यूनतम है। विपक्षीगण की खातेदारी भूमि की आराजी संख्या 3825 रकबा 1.6187 हैक्टेयर में से 0.0364 हैक्टेयर, आराजी संख्या 3825/1 रकबा 0.6070 हैक्टेयर में से 0.0162 हैक्टेयर, आराजी संख्या 3825/2 रकबा 1.6187 हैक्टेयर में से 0.0382 हैक्टेयर, आराजी संख्या 3930/3825 रकबा 1.2141 हैक्टेयर मे से 0.0419 हैक्टेयर व आराजी संख्या 4981/3493 रकबा 0.9550 हैक्टेयर मे से रकबा 0.0364 हैक्टेयर अर्थात कुल रकबा 0.1691 हैक्टेयर (उत्तरी मेड़) पर रास्ते के उपयोग हेतु ली जावेगी। रास्ते हेतु 0.1691 हैक्टेयर भूमि का उपयोग होगा जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 796735 रुपया प्रति हैक्टेयर से मालियत 135280 राशि की दूगुनी राशि 270560 रुपया भूमि का बनता है। बाद अवलोकन एवं मनन पाया गया कि प्रथम दृष्ट्या प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए (क) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं संशोधित अधिसूचना संख्या F3(2) rev.6/03/pt./7 दिनांक 02.03.2012 नियम 70 (1)(।।) () के अनुसरण में **लादूलाल पुत्र कालुलाल जाति मीणा निवासी बरून्दनी तहसील माण्डलगढ़ की ग्राम बरून्दनी पटवार हल्का बरून्दनी की आराजी संख्या 4983/3494 रकबा 0.3562 हैक्टेयर व आराजी संख्या 4980/3493 रकबा 0.6152 हैक्टेयर भूमि पर पंहुचने हेतु विपक्षीगण छोटी पत्नी रतन जाति मीणा वगैरा की ग्राम बरून्दनी पटवार हल्का बरून्दनी के आराजी संख्या 3825 रकबा 1.6187 हैक्टेयर में से 0.0364 हैक्टेयर, आराजी संख्या 3825/1 रकबा 0.6070 हैक्टेयर में से 0.0162 हैक्टेयर, आराजी संख्या 3825/2 रकबा 1.6187 हैक्टेयर में से 0.0382 हैक्टेयर, आराजी संख्या 3930/3825 रकबा 1.2141 हैक्टेयर मे से 0.0419 हैक्टेयर व आराजी संख्या 4981/3493 रकबा 0.9550 हैक्टेयर मे से रकबा 0.0364 हैक्टेयर अर्थात कुल रकबा 0.1691 हैक्टेयर (उत्तरी मेड़) पर रास्ते के उपयोग हेतु ली जावेगी। जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 796735 रुपया प्रति हैक्टेयर से मालियत 135280 राशि की दूगुनी राशि 270560 (दो लाख सतर हजार पांच सौ साठ)** रुपया प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को अदा किये जाने पर एवं विपक्षीगण द्वारा इन्कार किये जाने की स्थिति में राजकोष में मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा करवाने पर गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता रहेगा। तहसीलदार माण्डलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता अंकन करावें।

आदेश आज दिनांक **23.11.2023** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़, जिला-भीलवाड़ा

(महेश गगोरिया)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़